उपखण्ड अधि...

12/12/10 मिसल राजस्व लोक अदालत में पेश हुई। अभिभाषक अभियोजन श्री अभिभाषक अभियोजन ने कथन किया कि पक्षकारान सहमत है नहीं है इसलिए बाद अभियोजन New Instruction में लम्बित प्रकरण जाए अतः बाद अभियोजन New Instruction में लम्बित किया जाए। मिसल पत्रावली के अनुक्रम में जाते है मिसल पत्रावली शुरू हो।

उपखण्ड अधिकारी, दातारामगढ़